रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2005/पौष 1, 1927

No. 527] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2005/PAUSA 1, 1927

## वित्त मंत्रालय

## (आर्थिक कार्य विभाग)

## भारतीय रिज़र्व बैंक

## (विदेशी मुद्रा विभाग)

## (केंद्रीय कार्यालय)

## अधिसूचना

मुम्बई, 30 नवम्बर, 2005

**सं. फेमा 141/2005-आरबी**

## विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (छठा संशोधन) विनियमावली, 2005

**सा.का.नि. 738(अ).**—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (छठा संशोधन) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (छठा संशोधन) विनियमावली, 2005 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **विनियमावली में संशोधन.**—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 के संलग्नक "आ" में, अनुसूची 1 में मद सं. 1 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

| सं. | क्षेत्र | निवेश सीमा | क्रियाकलाप/मदों/स्थिति का वर्णन |
|---|---|---|---|
| 1. | निजी क्षेत्र बैंकिंग | 74% | समय-समय पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन |

[सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड IV]

विनय बैजल, मुख्य महाप्रबंधक

**पाद टिप्पणी :** मूल विनियम सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 8, 2000 के सं. सा.का.नि. 406 (अ) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं :—

दिनांक 02-03-2001 की सं. सा.का.नि. 158(अ)

दिनांक 13-03-2001 की सं. सा.का.नि. 175(अ)

दिनांक 14-03-2001 की सं. सा.का.नि. 182(अ)

दिनांक 02-01-2002 की सं. सा.का.नि. 4(अ)

दिनांक 19-08-2002 की सं. सा.का.नि. 574(अ)

दिनांक 18-03-2003 की सं. सा.का.नि. 223(अ)

दिनांक 18-03-2003 की सं. सा.का.नि. 225(अ)

दिनांक 22-07-2003 की सं. सा.का.नि. 558(अ)

दिनांक 23-10-2003 की सं. सा.का.नि. 835(अ)

दिनांक 22-11-2003 की सं. सा.का.नि. 899(अ)

दिनांक 07-01-2004 की सं. सा.का.नि.12(अ)
दिनांक 23-04-2004 की सं. सा.का.नि. 278(अ)
दिनांक 16-07-2004 की सं. सा.का.नि. 454(अ)
दिनांक 21-09-2004 की सं. सा.का.नि. 625(अ)
दिनांक 08-12-2004 की सं. सा.का.नि. 799(अ)
दिनांक 01-04-2005 की सं. सा.का.नि. 201(अ)
दिनांक 01-04-2005 की सं. सा.का.नि. 202(अ)
दिनांक 25-07-2005 की सं. सा.का.नि. 504(अ)
दिनांक 25-07-2005 की सं. सा.का.नि. 505(अ)
दिनांक 29-07-2005 की सं. सा.का.नि. 513(अ)

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Economic Affairs)**

**RESERVE BANK OF INDIA**

**(Foreign Exchange Department)**

(CENTRAL OFFICE)

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 30th November, 2005

**No. FEMA 141/2005-RB**

**Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Sixth Amendment) Regulations, 2005**

**G.S.R. 738 (E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000) :

1. **Short Title and Commencement.**—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Sixth Amendment) Regulations, 2005.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of the Regulations.**—In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, Schedule 1, in Annexure B, for Item No. 1, the following shall be substituted :

| No. | Sector | Investment Cap | Description of Activity/ Items/Conditions |
|---|---|---|---|
| 1. | Private Sector Banking | 74% | Subject to directions/ guidelines issued by RBI under the Banking Regulation Act, 1949 from time to time. |

[No. 1/23/EM/2000-Vol.-IV]

VINAY BAIJAL, Chief General Manager

**Footnote :**—The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 406(E) dated May, 8 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under :—

G.S.R. 158(E) dated 02-03-2001
G.S.R. 175(E) dated 13-03-2001
G.S.R. 182(E) dated 14-03-2001
G.S.R. 4(E) dated 02-01-2002
G.S.R. 574(E) dated 19-08-2002
G.S.R. 223(E) dated 18-03-2003
G.S.R. 225(E) dated 18-03-2003
G.S.R. 558(E) dated 22-07-2003
G.S.R. 835(E) dated 23-10-2003
G.S.R. 899(E) dated 22-11-2003
G.S.R. 12(E) dated 07-01-2004
G.S.R. 278(E) dated 23-04-2004
G.S.R. 454(E) dated 16-07-2004
G.S.R. 625(E) dated 21-09-2004
G.S.R. 799(E) dated 08-12-2004
G.S.R. 201(E) dated 01-04-2005
G.S.R. 202(E) dated 01-04-2005
G.S.R. 504(E) dated 25-07-2005
G.S.R. 505(E) dated 25-07-2005
G.S.R. 513(E) dated 29-07-2005

**अधिसूचना**

मुम्बई, 6 दिसम्बर, 2005

**सं. फेमा 142/2005-आरबी**

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2005**

**सा.का.नि. 739(अ).**—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (घ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और देना) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 3/2000-आरबी) में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (क) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2005 कहलाएगी।

(ख) ये अप्रैल 25, 2005 @ से लागू समझी जाएगी।

2. **अनुसूची I में संशोधन.**—विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 में, अनुसूची I में,

(I) पैराग्राफ (1) में, उप-पैराग्राफ (i) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(i) पात्रता

(क) किसी वित्तीय बिचौलिया (जैसा कि बैंक, वित्तीय संस्था, आवास वित्त पोषण कंपनी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) से इतर, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कोई कंपनी इस अनुसूची के तहत उधार लेने के लिए पात्र है।

(ख) व्यष्टि वित्तपोषण क्रियाकलापों में लगे गैर-सरकारी संगठन समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत इस अनुसूची के अंतर्गत विदेशी मुद्रा में उधार ले सकते हैं।

(ग) रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य संस्था।"

(II) पैराग्राफ (1) में, उप-पैराग्राफ (ii) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) राशि

(क) स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत अनुसूची I के खण्ड I के पैराग्राफ (i)(क) में यथाविनिर्दिष्ट किसी संस्था द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार, चाहे वह शृंखला में अथवा अन्यथा उगाहा गया हो, किसी एक वित्तीय वर्ष में (अप्रैल-मार्च) 500 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समकक्ष से अधिक नहीं चाहिए।

(ख) व्यष्टि वित्तपोषण क्रियाकलापों में लगे किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा अनुसूची I के खण्ड I के पैराग्राफ (i)(ख) में यथाविनिर्दिष्ट के तहत विदेशी मुद्रा में उधार एक वित्तीय वर्ष में (अप्रैल-मार्च) 5 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समकक्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।"

(III) उक्त खण्ड (ग) के बाद खण्ड अ में उप पैराग्राफ (iv) में पैराग्राफ (1) में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:

"(घ) रिज़र्व बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य पात्र प्रयोजन"

[सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड-IV]
विनय बैजल, मुख्य महाप्रबंधक

**पाद टिप्पणी :** (i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और देना) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. 3) सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 की सं. सा.का.नि. 386(अ) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए हैं :—

(क) अगस्त 25, 2000 की सं. सा.का.नि. 674(अ)

(ख) जुलाई 8, 2002 की सं. सा.का.नि. 476(अ)

(ग) दिसंबर 31, 2002 की सं. सा.का.नि. 854(अ)

(घ) जुलाई 9, 2003 की सं. सा.का.नि. 531(अ)

(ङ) जुलाई 9, 2003 की सं. सा.का.नि. 533(अ)

(च) मार्च 23, 2004 की सं. सा.का.नि. 208(अ)

(छ) दिसंबर 22, 2004 की सं. सा.का.नि. 825(अ)

(ज) फरवरी 9, 2005 की सं. सा.का.नि. 60(अ)

(ii)@ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमावली को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## NOTIFICATION

Mumbai, the 6th December, 2005

**No. FEMA 142/2005-RB**

**Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Second Amendment) Regulations, 2005**

**G. S. R. 739(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following regulations to amend the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 3/2000-RB dated 3rd May 2000) as amended from time to time namely :—

**2. Short title and commencement.**— (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Second Amendment) Regulations, 2005.

(b) They shall be deemed to have come into force from April 25, 2005.@

**3. Amendment to Schedule I.**—In the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000, in Schedule I,

(I) in paragraph (1), for sub-paragraph (i), the folllowing shall be substituted, namely :—

"(i) **Eligibility**

(a) Any company registered under the Companies Act, 1956, other than a financial intermediary (such as a Bank, financial institution, housing finance company and a non-banking finance company is eligible to borrow under this Schedule.

(b) Non-Government Organisations engaged in Micro-finance activities may borrow in foreign exchange under this Schedule under such terms and conditions as specified by the Reserve Bank from time to time.

(c) Any other entity as specified by the Reserve Bank."

(II) in paragraph (1), for sub-aragraph (ii), the following shall be substituted, namely :—

"(ii) **Amount**

(a) The borrowing in foreign exchange by an entity as specified in paragraph (i) (a) of section I of Schedule I, under the Automatic Route whether raised in tranches or otherwise, shall not exceed USD 500 million or equivalent in any one financial year (April—March).

(b) The borrowings in foreign currency under as specified in paragraph (i) (b) of section I of Schedule I, by a non-government organisation engaged in micro-finance activities shall not exceed USD 5 million or equivalent during a financial year (April—March)."

(III) in paragraph (1) in sub paragraph (iv), in clause A, after sub-clause (c), the following shall be inserted:

"(d) any other eligible purpose as specified by the Reserve Bank."

[No. 1/23/EM/2000-Vol.IV]

VINAY BAIJAL, Chief General Manager

**Foot Note :** (i) The Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. 3 dated May 3, 2000) was published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 386 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and was subsequently amended by the following :

(a) G.S.R. 674(E), dated August 25, 2000
(b) G.S.R. 476(E), dated July 8, 2002
(c) G.S.R. 854(E), dated December, 31, 2002
(d) G.S.R. 531(E), dated July 9, 2003
(e) G.S.R. 533(E), dated July 9, 2003
(f) G.S.R. 208(E), dated March 23, 2004
(g) G.S.R. 825(E), dated December 22, 2004
(h) G.S.R. 60(E), dated February 9, 2005

(ii) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.